न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 03, जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	–	इन्दिरा बनेरा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक निगरानी(सी.आई.एस.) सं.	–	31/2021
CNR No.	–	RJSK010014402021
सुभिता आदि	**ब ना म**	राज्य सरकार वगैरा

02.07.2026

निगरानीकर्ता सुभिता के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह काजला उपस्थित। अपर लोक अभियोजक श्री अनिल शर्मा उपस्थित। गैरनिगरानीकर्ता सं. 2 मनोहर सिंह की तलबी दिनांक 27.07.2021 को बंद की गयी।

निगरानीकर्ता सुभिता की ओर से यह दाण्डिक निगरानी याचिका विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,क्रम संख्या 1 सीकर के (पीठासीन अधिकारी श्री प्रशांत पूनिया, RJS) द्वारा फौ. विविध प्रकरण सी.आई.एस. नं. 1173/19 सुभिता बनाम मनोहर में पारित आदेश दिनांक 21.01.2021 जिसके तहत निगरानीकर्तागण के आवेदन 125 सीआर पी सी व अंतरिम निर्वाह भत्ता के आवेदन को एक साथ निरस्त कर दिया गया, से व्यथित होकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो कालान्तर में वास्ते सुनवाई अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

बहस निगरानी उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए, कथन किये कि आदेश जैर निगरानी विधिक सिद्वान्तों, प्रावधानों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों आदि के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम भरण पोषण के आवेदन पर पक्षकारों को सुनने के उपरान्त, बिना किसी विधिकता के मूल आवेदन अं०धारा 125 सी आर पी सी को भी निरस्त कर दिया, जो साक्ष्य एवं आवश्यक दस्तावेजों तथा विधिक तथ्यों से साबित किये जाने थे, इस प्रकार बिना सुनवाई के मूल आवेदन को निरस्त कर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेखित किया है कि " धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत एक मुश्त भरण पोषण की राशि प्राप्त करने के पश्चात् धारा 125 सी. आर. पी. सी के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।" इस सम्बंध में योग्य अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार नहीं किया कि धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम का न तो कोई आवेदन ही प्रस्तुत हुआ है, तथा न ही एक मुश्त भरण पोषण राशि प्राप्त करने का कोई आदेश न्यायालय द्वारा प्रदत्त ही किया गया है। ऐसी स्थिति में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आधार के ही अन्तरिम भरण पोषण के आवेदन पर सुनवाई कर मूल आवेदन 125 सी आर पी सी को निरस्त कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर निगरानी में पक्षकारो के मध्य हुए पारिवारिक न्यायालय में सहमति पूर्ण तलाक लिये जाने के सम्बंध में प्रस्तुत किये गये धारा 13 (बी) विवाह अधिनियम के आवेदन, शपथ–पत्र, एवं साक्ष्य व निर्णय को उल्लेखित किया है तथा यह माना है कि भरण पोषण के सम्बंध में विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा पारिवारिक न्यायालय के समक्ष हो चुका है। इस सम्बंध में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षकारों के मध्य हुए सहमति पूर्वक लिये गये तलाक धारा 13 (बी) हिन्दू विवाह अधिनियम के आवेदन आदि का विधिक रूप से अवलोकन ही नहीं किया है, क्योंकि पारिवारिक न्यायालय सीकर में प्रस्तुत हुए सहमति पूर्वक तलाक के आवेदन संलग्न शपथ–पत्र एवं निर्णय में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि पक्षकारों के मध्य भरण पोषण का निपटारा अन्तिम रूप से हो चुका है। न्यायालय पारिवारिक न्यायालय ने सहमति पूर्वक प्रस्तुत तलाक को स्वीकार किया है न कि भरण पोषण के सम्बंध में निर्णय दिया है, क्योंकि दौराने तलाक याचिका धारा 13 (बी) हिन्दू बिवाह अधिनियम के साथ धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम का कोई भी आवेदन किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदन जब प्रस्तुत ही नहीं हुआ तब किस आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत एक मुश्त राशि भरण पोषण की प्राप्त करना माना है, यह स्पष्ट ही नहीं है। आदेश विधि के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम का उल्लेख करते हुए एक मुश्त राशि प्राप्त करना मानते हुए मूल आवेदन 125 सी आर पी सी निरस्त किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता का पुत्र नाबालिग आयुष तो धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम की परिधि में ही नहीं आता है फिर किस आधार पर नाबालिग पुत्र का भरण पोषण का आवेदन निरस्त कर दिया, यह प्रकट नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो

दस्तावेज एवं तथ्य आवेदन 125 सी आर पी सी में एवं आवेदन के साथ प्रस्तुत किये है उनको आवेदन के साक्ष्य के दौरान साबित करने से सम्बंधित है जिनका बिना सुनवाई एवं प्रमाणिकता के बिना साक्ष्य लिए ही मूल आवेदन 125 सी आर पी सी को निरस्त कर विधि के प्रावधानों की अनदेखी की है। यहाँ यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है कि आदेश में उल्लेखित किया है कि निगरानीकर्ता सुभिता ने आवेदक की पैतृक सम्पति में से 1/2 हिस्सा प्राप्त कर लिया है, तथा निगरानीकर्ता प्राईवेट स्कूल में शिक्षिका है व नौकरी कर रही है, ऐसा कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, न तो पैतृक सम्पत्ति के 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का व न ही प्राईवेट नौकरी करने का ही दस्तावेज या आधार है। उक्त तथ्य साक्ष्य का विषय है जो दौराने साक्ष्य साबित किये जाने है, जिनको बिना समुचित आधार के मान कर आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश जैर निगरानी एक पक्षीय रूप से मात्र आवेदन 125 सी आर पी सी निरस्त करने के आधारो को, अपने आदेश में उल्लेखित किया जबकि निगरानीकर्ता की ओर से अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को एवं उल्लेखित आधारों को न तो आदेश में उल्लेखित किया है, न ही उनके सम्बंध में कोई अवलोकन कर विचार ही प्रकट किया है। निगरानीकर्ता ने आवेदन 125 सी आर पी सी योग्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि उसके पास रोजगार या कमाई का कोई साधन नहीं है ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से भयंकर परेशान है तथा गैर निगरानीकर्ता ने स्वयं ने इकरार करते हुए लिखित में दिया है कि वह अपने हिस्से की सम्पत्ति में से 1/6 हिस्सा निगरानीकर्ता के नाम करवा रहा है तथा अपने नौकरी के वेतन की आधी राशि हर माह देगा, ये दस्तावेज आवेदन 125 सी आर पी सी के संलग्न किये है व आवेदन में उल्लेखित किये है। जिनका योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया है, आदेश विधि को अनदेखा कर पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। निगरानीकर्तागण का आवेदन धारा 125 सी आर पी सी जो योग्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उक्त आवेदन को अन्य न्यायालय में वैचारित प्रकरण के तथ्यों एंव साक्ष्यों के आधार पर सीधा ही निरस्त किया जाना विधि की मंशा नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में बिना साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही, सीधा ही मूल प्रकरण को ही निरस्त किया जाना विधिक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि प्रत्येक प्रकरण उक्त न्यायालय में तत्समय प्रकरण के तथ्यों एवं

परिस्थितियों के आधार पर निर्णित होता है। ऐसी स्थिति में अन्य न्यायालय में वैचारित प्रकरण एवं निर्णय के आधार पर इस न्यायालय में भिन्न प्रकृति के प्रकरण को निरस्त किया जाना विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। आदेश जैर निगरानी प्रकरण के तथ्य साक्षिक महत्व के होने एवं साक्ष्य के दौरान ही साबित किए जाने थे, जिनको विधिक प्रावधानों के विपरीत वैचारित कर आदेश पारित किया है। अंत में निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 21.01.21 न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 सीकर अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

अपर लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होना कथित कर, निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। निगरानी याचिका एवं निगरानीधीन आदेश दिनांक 21.01.2021 एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांकित 21.01.2021 शुद्ध, वैधानिक व औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं ?

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने स्वयं को अप्रार्थी की तलाकशुदा पत्नी होने व अप्रार्थी से प्रार्थिया के एक पुत्र होने का कथन करते हुए आगे कथन किया है कि उसने तलाक के बाद पुनर्विवाह नहीं किया है जो विधिक रूप से अप्रार्थी से निर्वाह भत्ता स्वयं व अपने पुत्र के लिए प्राप्त करने की अधिकारी है। आवेदिका से तलाक याचिका के निर्णय की दिनांक 13.08.2018 को एक समझौता पत्र व एक इकरारनामें पर हस्ताक्षर करवा लिये जिसके अनुसार उसे उसके पुत्र का एकमुश्त राशि निर्वाह भत्ता की अदा करना व ग्राम पलथाना में अवस्थित अप्रार्थी की पैतृक संपत्ति में 1/6 हिस्सा देने व प्रत्येक माह को अप्रार्थी का आधा वेतन देने की बात उल्लेखित की है परंतु अप्रार्थी ने उक्त समझौता पत्र व डेन्टी निरारनामें की अनुपालना नहीं की है। अप्रार्थी सेना में नौकरी करती है, उसे 65000/– रू. प्रतिमाह वेतन मिलता है व जमीन जायदाद है जिससे आय प्राप्त होती है। प्रार्थिया व उसके पुत्र को वर्तमान में आय का कोई साधन नहीं है। अतः प्रार्थिया व उसके नाबालिग पुत्र आयुष को मूल आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से निर्वाह भत्ता राशि प्रार्थिया को पन्द्रह हजार रू. प्रतिमाह व प्रार्थिया के नाबालिग पुत्र

को दस हजार रू. प्रतिमाह कुल पच्चीस बतौर निर्वाह भत्ता दिए जाने के आदेश करने का निवेदन किया है।

हस्तगत प्रार्थना पत्र के खण्डन में अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थिया व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 13.08.2018 को विवाह विच्छेद होना स्वीकार करते हुए आवेदन के शेष अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए मुख्य रूप से यह अभिकथन किया है कि प्रार्थिया पुत्र सहित दिनांक 05.01.2015 को अपने पीहर चली गयी, उसके पश्चात कभी भी अप्रार्थी के साथ नहीं रही। पैतृक संपत्ति में 1/6 हिस्सा देना व प्रत्येक माह आधा वेतन देने का समझौता पत्र व किसी प्रकार का कोई इकरारनाना निष्पादित नहीं हुआ था बल्कि आवेदकगण ने एकमुश्त भरण पोषण राशि के रूप में चार लाख रु. प्रात कर लिये थे। अप्रार्थी पुनः भरण पोषण अदा करने हेतु उत्तरदायी नहीं है। आवेदिका स्वामी केशवानन्द सीनियर सैकण्डरी स्कूल भढाढर में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। अप्रार्थी ने विवाह विच्छेद के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया है। अप्रार्थी के पास ना तो सहदायिक संपत्ति है ना ही प्रार्थिया को अप्रार्थी की स्वअर्जित संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निर्वाह भत्ता आवेदन नय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुन कर दिनांक 21.01.21 को निगरानीकर्ता/प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र एवं मूल आवेदन अं. धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता को अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता ने हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह पाया है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी मनोहर सिंह व प्रार्थीया सुभिता देवी का विवाह विच्छेद दिनांक 13.08.18 को हो चुका है एवं प्रार्थी सं. 2 आयूष अप्रार्थी मनोहर सिंह व प्रार्थीया सुभिता देवी का जाईन्दा पुत्र है जो कि वर्तमान में अपनी माता सुभिता देवी के साथ आवास–निवास कर रहा है। अप्रार्थी मनोहर सिंह का यह अभिकथन है कि प्रार्थीया सुभिता देवी व उसका परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद हो चुका है। तलाकशुदा पत्नी एक पत्नी की परिधि में आती है अथवा नहीं? इस संबंध में धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्पष्टीकरण(ख)में अंकितानुसार ऐसी महिला भी धारा 125 दण्ड

प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार पत्नी की परिधि में आती है। न्यायिक दृष्टांत 1995 सीआर.एल.आर.(एस सी)637 श्रीमती वनमाला बनाम श्री एच.एम. रंगनाथ भट्ट एवं 2018(1)सीजे(सीआरआई.)(एससी)216 संजू देवी बनाम स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 125(4)दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वह पत्नी भी आती है जिसका आपसी सहमति से धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद हो गया हो। उभय पक्षकारान के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारान के मध्य परस्पर सहमति से विवाह विच्देद हो चुका है। इस संबंध में माननीय पारिवारिक न्यायालय के निर्णय दिनांकित 13.08.18 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है जिसकी मद सं.01 में यह अंकित है कि ''प्रार्थीया द्वारा अपना समस्त स्त्रीधन प्राप्त कर लिया गया है तथा प्रार्थीया/पत्नी ने प्रार्थी/पति से अपने लिए एवं पुत्र आयुष कुमार के लिए एक मुश्त भरणपोशण की राशि प्राप्त कर ली है, अब दोनों के मध्य भरण पोषण संबंधी कोई विवाद शेष नहीं है एवं भविष्य में प्रार्थीया, प्रार्थी की सम्पत्ति पर क्लेम नहीं करेगी एवं न ही भरण पोषण की राशि प्राप्त करने हतु कोई क्लेम करेगी।'' उक्त सम्माननीय निर्णय की मद सं. 04 में यह भी अंकित है कि दोनों पक्षकारों ने यह भी अंकित किया है कि पक्षकारों का एक–दूसरे से कोई लेना–देना नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण ने प्रार्थीया सुभिता देवी का अप्रार्थी मनोहर सिंह से परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद होने से पूर्व एक मुश्त भरण–पोषण की राशि प्राप्त कर ली है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत राकेश मल्होत्रा बनाम कृष्णा मल्होत्रा (2020)(एस सी)438 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिनिर्धारण से प्रकट है कि धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक मुश्त भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने के पश्चात धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने उक्त विवेचनानुसार निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र एवं मूल आवेदन अंतर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया।

न्यायालय के विनम्र मत में माननीय पारिवारिक न्यायालय के निर्णय दिनांकित 13.08.18 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है जिसकी मद सं.01 में यह अंकित है कि ''प्रार्थीया द्वारा अपना समस्त स्त्रीधन प्राप्त कर लिया गया है

तथा प्रार्थीया/पत्नी ने प्रार्थी/पति से अपने लिए एवं पुत्र आयुष कुमार के लिए एक मुश्त भरणपोशण की राशि प्राप्त कर ली है, अब दोनों के मध्य भरण पोषण संबंधी कोई विवाद शेष नहीं है एवं भविष्य में प्रार्थीया, प्रार्थी की सम्पत्ति पर क्लेम नहीं करेगी एवं न ही भरण पोषण की राशि प्राप्त करने हतु कोई क्लेम करेगी।'' उक्त सम्माननीय निर्णय की मद सं. 04 में यह भी अंकित है कि दोनों पक्षकारों ने यह भी अंकित किया है कि पक्षकारों का एक–दूसरे से कोई लेना–देना नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण ने प्रार्थीया सुभिता देवी का अप्रार्थी मनोहर सिंह से परस्पर सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद होने से पूर्व एक मुश्त भरण–पोषण की राशि प्राप्त कर ली है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत राकेश मल्होत्रा बनाम कृष्णा मल्होत्रा (2020)(एस सी)438 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिनिर्धारण से प्रकट है कि धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक मुश्त भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने के पश्चात धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की ओर से निगरानी में जो आधार उठाए गए हैं, वे माने जाने योग्य नहीं है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश दिनांक 21.01.2021 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से, निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

आ दे श

अतः निगरानीकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका विरूद्ध राज्य सरकार वगैरा अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2021 को पारित निगरानीधीन आदेश की पुष्टि की जाती है।

(इन्दिरा बनेरा)
अपर सैशन न्यायाधीश,
क्रम सं. 3, जिला सीकर।

आदेश आज दिनांक 02.07.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल

दफतर हो। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब भिजवाई जावे।

(इन्दिरा बनेरा)
अपर सैशन न्यायाधीश,
क्रम सं. 3, जिला सीकर।